



No. 736/NFA-2022/40.21/MCT Phase – III (10) (4<sup>th</sup> Cycle)

Date: 15.07.2022

To

The Chief Secretary  
All State/UTs

**Sub: Nomination of Indian Forest Service (IFS) officers for Mid-Career Training (MCT) Phase – III (10<sup>th</sup>) programme – regarding.**

Sir,

This is to inform that in accordance with the existing MoEF&CC and DoPT, GoI guidelines, the 10<sup>th</sup> Course of the Phase – III of the Mid-Career Training (MCT) programme for IFS officers of YoA – 2012 and 2013 (7 – 9 years of service), the IFS officers of YoA – 2007, 2010 & 2011, who missed the 8<sup>th</sup>/9<sup>th</sup> course, is being organized by Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), as per the following schedule:

Complete duration	Management Module at IIFM Bhopal	Line Ministries and other Attachments	Thematic tour	Forestry Module at IGNFA
05 – 30 September 2022 (4 weeks)	05 – 10 September 2022 (1 week)	12 – 16 September 2022 (1 week)	19 – 24 September 2022 (1 week)	26 – 30 September 2022 (1 week)

2. The IGNFA has enlisted the eligible IFS officers for the aforesaid course. It is to be noted that the officers having less than three years of service left after the year in which he/she is supposed to undergo the Phase – III MCT as well as those who have not completed PSUC after induction into IFS on promotion from SFS have been excluded. Accordingly, a list of 174 officers has been finalized, of which Sr. no. 1 – 60 are in List – I and the Sr. No. 61 – 174 are in List – II. The officers from the List – II will be included to the extent of number of officers from the first 60 officers of List – I List drop out or show his/her unavailability; otherwise, these officers would be invited in the next course.

The complete list of the officers, for whom the registration has been opened for all 174 officers, is attached as Annexure – 'A'.

The 6 officers who have missed the earlier two offers to participate in the MCT Phase – III programme, have to approach the MoEF&CC, Govt. of India, through the State Government for seeking approval for the third offer. The list of such officers is attached as Annexure – 'B'.

3. While preparing the list, the latest IFS Civil List – 2022 available at the MoEF&CC website has been used. However, the concerned administrative department and the Cadre Controlling Authority may kindly go through the Annexure – 'A' and arrange to nominate such eligible officers pertaining to the Year of Allocation (YoA) and meeting the criteria of the MCT programme, and their name missed out in the list due to mistake or discrepancies, if any, with the source document.

The IGNFA shall incorporate these names in the subsequent list of nominations after getting confirmation from the MoEF&CC. The State Governments are, however, requested to convey the approval of participation for all the officers from their States figuring in the list so that further approval may not be required while including the officers from the waiting list.



पत्र सं. 736/रा.व.अ.-2022/40.21/एमसीटी फेज - III (10) (चक्र-4)

दिनांक: 15.07.2022

सेवा में,

सभी राज्यों/ सं.शा.क्षेत्रों के  
मुख्य सचिव

विषय मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमसीटी) के फेज - III (10) हेतु भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) अधिकारियों के नामांकन के संबंध में

महोदय,

सूचित किया जाना है कि पर्या.व.ज.परि. मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसरण में, 2012 तथा 2013 आवंटन वर्ष (7-9 वर्ष की वरिष्ठता) वाले भावसे अधिकारियों, 8ठे/9वें पाठ्यक्रम में भाग लेने से चूक गए 2007, 2010 तथा 2011 आवंटन वर्ष वाले भा.व.से. अधिकारियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा एमसीटी के फेज - III का 10वें पाठ्यक्रम का आयोजन निम्न कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है -

संपूर्ण अवधि	भा.व.प्र.सं. भोपाल में प्रबंधन मॉड्यूल	संबंधित मंत्रालयों का दौरा	विषयगत दौरा	इ.गां.रा.व.अ. में वानिकी मॉड्यूल
05-30 सितम्बर 2022 (4 सप्ताह)	05-10 सितम्बर 2022 (एक सप्ताह)	12-16 सितम्बर 2022 (एक सप्ताह)	19-24 सितम्बर 2022 (एक सप्ताह)	26-30 सितम्बर 2022 (एक सप्ताह)

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकन सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे अधिकारियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनकी शेष सेवा अवधि उनके इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के अपेक्षित वर्ष के उपरांत तीन वर्ष से कम है अथवा जिन अधिकारियों ने राज्य वन सेवा से पदोन्नति के उपरांत व्यावसायिक कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम (पी.एस.यू.सी.) पूर्ण नहीं किया है। तदुसार, इस पाठ्यक्रम के लिए 174 अधिकारियों के नाम निश्चित किए गए हैं जिनमें क्रम संख्या 1-60 तक के अधिकारी प्राथमिकता सूची - I में शामिल हैं जबकि क्र.सं. 61 से 174 तक के अधिकारी प्राथमिकता सूची - II में शामिल हैं। प्राथमिकता सूची - II के अधिकारियों को पाठ्यक्रम के लिए तब आमंत्रित किया जाएगा जबकि पहले प्राथमिकता सूची-I के अधिकारियों में से कुछ अनुपस्थित रहें अथवा उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें। अन्यथा, इन अधिकारियों को अगले पाठ्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

सभी 174 अधिकारियों, जिनके लिए पंजीकरण खोला गया है, की पूरी सूची 'संलग्नक-ए' के रूप में संलग्न है।

ऐसे 6 अधिकारी जो एमसीटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व में दिए गए दो अवसरों पर चूक गए हैं, वे अपने लिए तीसरे अवसर के अनुमोदन हेतु संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची 'संलग्नक-बी' के रूप में संलग्न है।

3. सूची तैयार करते समय प.व.ज.प.मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आई.एफ.एस. सिविल लिस्ट - 2022 की सहायता ली गई है, तथापि, संबंधित प्रशासनिक विभाग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया वे 'संलग्नक-ए' का अवलोकन कर ऐसे पात्र अधिकारियों को नामित करने की व्यवस्था करें जो उपरोक्त आवंटन वर्ष के दायरे में आते हैं और एम.सी.टी. कार्यक्रम में नामांकन हेतु अन्य योग्यताएँ भी रखते हों किन्तु मूल दस्तावेजों में किसी गलती के कारण उनके नाम इस सूची में शामिल होने से रह गए हैं।

प.व.ज.प.मंत्रालय से पुष्टि होने पर अकादमी द्वारा इन नामों को अगली नामांकन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देते समय वे कृपया संलग्न सूची में शामिल अधिकारियों में से अपने राज्य के सभी अधिकारियों की प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करें ताकि प्रतीक्षा सूची से किसी अधिकारी की प्रतिभागिता के लिए पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो।

4. As the above training programmes are being organized in association with National/International institutions and also involve tour component within the country participation of individual officer needs to be confirmed well in advance both by the concerned States as well as by the participants themselves. This may kindly be done latest by **08.08.2022**. It is also mentioned that keeping in view the advance ticket booking and other commitments involved in the conduct of the training programme, it would not be possible to change a confirmed nomination to the training programme.

**The nominated officers have to be relieved in time to enable them to join the training programme on 05.09.2022 at the Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal for Management Module. During the programme, the participants will be provided single accommodation and under no circumstances the family members would be allowed to accompany during the entire training programme including study visit. This may clearly be brought to the notice of officers so that they do not face embarrassment of return of their families from places of training.**

**Since the MCT programme is *no leave training*, the officers may be advised not to carry any liability during the training period of 05 – 30 September 2022 as absence from the training is not allowed.**

5. The IGNFA has provided a link on its portal ([www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in)) with the details regarding the registration; the officers enlisted in Annexure – 'A' are required to complete the registration latest by **08.08.2022**.

6. Further, it is worth mentioning that the Indian Forest Service (Pay) Rules have been revised vide notification no. 20011/1/2006-AIS-II dated 21.02.2008 and its amendment through IFS (Pay) Second Amendment Rules, 2008 vide notification no. 14021/3/2008-AIS-II dated 27.09.2008, to make successful completion of these MCT programmes compulsory for award of Junior Administrative grade, II<sup>nd</sup> Super time scale and further increments to the concerned officers. Therefore, it would be the responsibility of the concerned State Government and the officers themselves to be in a position to attend the programme on first nomination only as per the schedule. Failure to attend the said training, without express approval of MoEF&CC, GoI, would mandatorily attract the consequences laid down in the IFS (Pay) Rules, for which this Academy or the MoEF&CC shall not be responsible.

Yours faithfully,

Encl: As above

*Bharat*  
15/7/22  
**(Bharat Jyoti)**  
Director, IGNFA

Copy for information and necessary action to:

1. The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Forests) of all States/UTs
2. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) of all States/UTs with a request to kindly direct the officers nominated for the course to visit the IGNFA website [www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in) for further details and complete their registration, which is compulsory.

4. चूंकि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विख्यात राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें देश के अंतर्गत कराए जाने वाले दौर भी शामिल हैं, अतः आवश्यक है कि नामित अधिकारी की प्रतिभागिता की पुष्टि स्वयं अधिकारियों और उनके संबंधित राज्यों द्वारा समय रहते कर दी जाए। कृपया यह पुष्टि अधिकतम **08.08.2022** तक अवश्य कर दी जाए। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्रिम टिकट बुकिंग तथा अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुष्ट किए गए नामांकन में अंतिम समय में बदलाव करना संभव नहीं होगा।

नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु समय से कार्यमुक्त किया जाना होगा ताकि वे 05.09.2022 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (भा.व.प्र.सं.), भोपाल में प्रबंधन मॉड्यूल में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकें। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को एकल आवास उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण अवधि और अध्ययन दौरे के समय उन्हें अपने परिजनों को साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया यह बात सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए ताकि उन्हें प्रशिक्षण स्थल से अपने परिजनों को वापस भेजने जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े।


चूंकि एम.सी.टी. कार्यक्रम एक गैर-अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम है अतः कृपया अधिकारियों को यह सलाह दें कि वे 05 से 30 सितम्बर 2022 के प्रशिक्षण अवधि के बीच कोई ज़िम्मेदारी न लें क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इ.गां.रा.व.अ द्वारा अपनी वेबसाइट ([www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in)) पर पंजीकरण की सुविधा के साथ संबंधित विवरण भी उपलब्ध कराया गया है अतः नामित अधिकारीगण अधिकतम **08.08.2022** तक अपने पंजीकरण पूर्ण कर लें।

6. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 21.02.2008 की अधिसूचना सं. 20011/1/2006-AIS-II के द्वारा भा.व.से. (वेतन) नियमावली का पुनरीक्षण किया गया है; तथा दिनांक 27.09.2008 की अधिसूचना सं. 14021/3/2008-AIS-II के द्वारा जारी भा.व.से. (वेतन) द्वितीय वेतन संशोधन नियमावली 2008 के द्वारा इसमें हुए संशोधन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आगे की पदोन्नतियाँ प्राप्त करने के लिए इन एमसीटी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। अतएव, यह राज्य सरकार एवं स्वयं संबंधित अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वे प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किए जाने पर तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित हों। प.व.ज.प. मंत्रालय के स्पष्ट अनुमोदन के बिना उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहने में असफल होना संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भा.व.से. (वेतन) नियमावली में उल्लिखित कार्रवाई को आकर्षित करेगा जिसके लिए यह अकादमी अथवा प.व.ज.परि. मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

संलग्नक - यथोपरि

विश्वासभाजन,



(भारत ज्योति)

निदेशक, इ.गां.रा.व.अ.

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति -

1. सभी राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (वन)
2. सभी राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) - इस निवेदन के साथ कि कृपया उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए नामित अधिकारियों को अन्य सूचनाओं एवं अपने पंजीकरण (अनिवार्य) को पूर्ण करने हेतु इ.गां.रा.व.अ. की वेबसाइट [www.ignfa.gov.in](http://www.ignfa.gov.in) देखने हेतु निदेशित करने की कृपा करें। पंजीकरण अनिवार्य है।